क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष– District level orientation of Stakeholders
बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.7.2.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ एक तथ्य जो स्पश्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 933 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विशय है।

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 28 जिलों में बाल लिंगानुपात 900–950 का है । अधिकांश जिलों में बाल लिंगानुपात में गिरावट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली इकाईयों के लिये गंभीर चुनौती का विषय है। अतः इस वर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ किया जाना अति आवश्यक है । महिलाओं में साक्षरता, रोजगार की गारंटी, विवाह हेतु उचित आयू, पहले बच्चे के समय माता की आयू, महिलाओं के प्रजनन दर आदि भी ऐसे कारण हैं जिनके प्रति एक जागरूक पहल की आवश्यकता है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरूद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी0सी0 एवं पी0एन0डी0टी0 संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है । पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में चिकित्सा पदाधिकारी, वैसे विभागों एवं गैर–सरकारी संस्थानों के पदाधिकारियों जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोगी हों, मीडिया, अधिनियम एवं न्यायिक पदाधिकारियों इत्यादि के उन्मुखीकरण हेतु लगभग 50 प्रतिभागियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है ।

इकाई राशि (रू० में)– 22000/– रूपये प्रति जिला (50 प्रतिभागी)

कार्यशाला हेतु आवंटित राशि की विवरणी

क्रम सं0	कार्यशाला में व्यय होने वाले मद	इकाई राशि (रू0 में)
1.	Venue Hiring	5000
2.	Lunch	200
3.	प्रतिभागियों के लिये फोल्डर, पेन, नोटपैड इत्यादि	100
4.	मिशलेनियस	2000

वित्तीय दिशा निर्देश : पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में चिकित्सा पदाधिकारी, वैसे विभागों एवं गैर–सरकारी संस्थानों के पदाधिकारियों जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोगी हों, मीडिया, अधिनियम एवं न्यायिक पदाधिकारियों इत्यादि के उन्मुखीकरण हेतु लगभग 50 प्रतिभागियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है । जिसमें उपरोक्त सारणी के अनुसार राशि व्यय किया जाना है ।

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम–डा० एन0 के0 मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर–9470003022

13/7/13